डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 नवम्बर, 2019, डिस्पेच दिनांक 16 नवम्बर, 2019

| वर्ष 63 | अंक 12 | भोपाल | 16 नवम्बर, 2019 | पृष्ठ 12 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/– | आजीवन शुल्क 1500/– |

सहकारिता आंदोलन में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान

सहकारिता मंत्री डॉ गोविन्द सिंह ने की जिला सहकारी बैंकों के काम–काज की समीक्षा

भोपाल। सहकारिता मंत्री डॉ गोविन्द सिंह ने कहा है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के जो अधिकारी– कर्मचारी बैंकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें नौकरी से बाहर करें तथा जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें पदोन्नत करें। साथ ही खाली पड़े पदों पर आयुक्त सहकारिता से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार शीघ्र ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। वित्तीय गड़बड़ी करने वालों से राशि की वसूली जाए, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। डॉ गोविन्द सिंह अपैक्स बैंक के सभागार में भोपाल एवं हौशंगाबाद संभागों के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता आंदोलन में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः आवश्यक है कि इनकी वित्तीय स्थिति को सुधारा जाए। गत वर्षों में इनकी वित्तीय स्थिति काफी बिगड़ी है। सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी निरंतर संभागीय बैठकें आयोजित कर इनके कार्य की समीक्षा करें। आयुक्त सहकारिता श्री एम.के. अग्रवाल ने बताया कि सागर एवं जबलपुर संभाग को छोड़कर सभी बैठकें की जा चुकी हैं तथा भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा।

प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी ने बताया कि सहकारी बैंक मुख्य रूप से किसानों को अल्प अवधि कृषि ऋण देने का कार्य करते हैं। उन्होंने दिए गए ऋणों की समय से वसूली किए जाने की आवश्यकता बताई। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की जिलेवार समीक्षा में पाया गया कि सभी बैंकों द्वारा दिए गए कालातीत ऋणों (NPA) की राशि अत्यधिक है। बैंकों के स्तर पर ऋणों की वसूली के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। मंत्री श्री सिंह ने निर्देश दिए कि आगामी एक वर्ष में अधिक से अधिक कालातीत ऋणों की वसूली सुनिश्चित की जाए।

सहकारी बैंकों की जिलेवार समीक्षा में पाया गया कि भोपाल में संस्थागत जमा तो हैं, परन्तु व्यक्तिगत जमा नहीं के बराबर हैं। इसके लिए प्रयास किया जाए। साथ ही कालातीत ऋणों की वसूली की जाए। बैतूल जिले में कालातीत ऋण की राशि रूपये 143 करोड़ है। आगामी 30 जून तक 100 करोड़ रूपये की वसूली कर ली जाए। रायसेन जिले में कालातीत ऋण राशि 148 करोड़ है, वहां के अधिकारी ने बताया कि आगामी जून तक 45 करोड़ की वसूली कर ली जाएगी।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

दस हजार सहकारी संस्थाओं के पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई शीघ्र

सहकारिता आयुक्त श्री अग्रवाल द्वारा प्रदेश स्तरीय बैठक में निर्देश

भोपाल। सहकारिता आयुक्त श्री एम.के. अग्रवाल ने निर्देश दिये है कि परिसमापन में लाई गई जिला सहकारी कृषि विकास बैंकों सहित प्रदेश की लगभग 10 हजार सहकारी संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाए। श्री अग्रवाल ने यहां सहकारिता अधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक में कहा कि आगामी तीन महीनों में इनमें से कम से कम 25 प्रतिशत संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन से इन संस्थाओं को प्राप्त ऋण के विरूद्ध इनकी विभिन्न परिसम्पत्तियों को शासन को हस्तांतरित करने आदि की कार्रवाई तय मापदण्डों के अनुरूप की जाएगी। इन संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के शासन के दूसरे विभागों में संविलियन की कार्रवाई 31 दिसम्बर 2019 तक पूरी कर ली जाए।

बैठक में 11 सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों शहडोल, सिवनी, भिंड, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, रायसेन, मंदसौर, खरगोन, देवास, बालाघाट एवं उज्जैन द्वारा बकाया ऋणों को

(शेष पृष्ठ 2 पर)

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सहकारिता जिन्दगी का तौर तरीका

बिखरी हुई बूंदे केवल सूखकर खत्म हो जाती है, लेकिन यही बूंदे परस्पर मिलकर महासागर बनाती है।

– महात्मा गांधी

इस वर्ष 291.57 लाख मीट्रिक टन खरीफ उत्पादन की संभावना

किसानों ने 145.57 लाख हे. क्षेत्र में बोई खरीफ फसलें

भोपाल। प्रदेश में इस वर्ष 291.57 लाख मीट्रिक टन खरीफ उत्पादन की संभावना है, जो पिछले वर्ष से 56.81 लाख मीट्रिक टन अधिक है। किसानों ने करीब 145.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोआई की है, जो पिछले वर्ष से 12.60 लाख हेक्टेयर अधिक है।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष 50.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अनाज, 20.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन, 67.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहन तथा 6.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बोनी की गई है। खरीफ में इस वर्ष 175.88 लाख मीट्रिक टन अनाज, 19. 35 लाख मीट्रिक टन दलहन, 84.65 लाख मीट्रिक टन तिलहन और 11.69 लाख मीट्रिक टन कपास की फसलों का उत्पादन संभावित है।

वित्तीय-पत्रक प्रकाशन

इस अंक में डॉ. अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, ग्वालियर एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धार के वित्तीय पत्रक प्रकाशित किये जा रहे हैं।

गांधी दर्शन और सहकारिता

महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती पर यह हमारे लिये स्वर्णिम अवसर है कि हम महात्मा गांधी की विचार प्रणाली पर मनन करें और यह देखें कि गांधी जी का चिन्तन देश के विकास में कहॉ तक सहायक सिद्ध हुआ है। गांधी जी ने अपनी प्रेरक व प्रभावशाली विचारधारा से देश को एक नई दिशा दी थी और देश प्रगति पथ पर अग्रसर हुआ था।

महात्मा गांधी ने हमें सिर्फ सत्य,प्रेम और अहिंसा का ही पाठ नहीं पढाया वरन् उन्होनें देश की प्रगति के लिए सहकारिता के रास्ते पर भी चलने के लिए हमें प्रेरित किया। गांधी जी सहकारिता के उत्थान के लिए व्यक्ति में सत्य,प्रेम और अहिंसा की भावना का होना आवश्यक समझते थै। उन्होंने कहा था कि "सहकारिता की मेरी परिकल्पना प्रेम, अहिंसा, सच्चरित्रता और प्रगतिशील लक्ष्य पर आधारित है।" आज जब हम सहकारिता के विकास पर विचार करते है तो लगता है कि सहकारिता के प्रति गांधी जी का उक्त कथन कितना सार्थकतापूर्ण था।

राष्ट्रपिता ने अपने जीवन मे सदा ही सहयोग और सहकारिता की भावना को महत्व दिया था। वे सहकारिता की भावना को एक बडी शक्ति समझते थे। उनका सोचना था कि सहकारिता में जहॉ एक ओर एकता निहित है वहीं दूसरी ओर सहकारिता सफलता का भी एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने महासागर से सहकारिता की तुलना करके उसके महत्व को प्रतिपादित किया था। गांधी जी ने कहा था कि "बिखरे हुए पानी की बूंद सूख जाती है लेकिन वे ही बूंद एक–दूसरे से मिलकर महासागर बनाती हैं जिसके विशाल वक्ष पर बड़े–बड़े जहाज चलते है।"

महात्मा गांधी ने सहकारिता के द्वारा की जाने वाली कोशिशों में अपार संतोष का सुख प्राप्त किया था। उनकी धारणा थी कि किसी सार्थक उद्देश्य के लिए कही अगर सम्मिलत रूप से प्रयास किया जाता है तो सफलता जरूर मिलती हैं। परस्पर सहयोग से कार्य करने की प्रणाली को प्रोत्साहन देते हुए उन्होने कहा था कि "सहकारिता में एक मिठास है, सहकारी कार्य के लिए बढ़ाये हुए हाथ अपने आप में कमजोर या ताकतवर नही होते प्रत्येक एक–दूसरे के बराबर होता है।"

बापू व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहकारिता को एक मजबूत आधार मानते थे और अनिवार्य समझते थे सहकारी कार्यकर्ताओ की ईमानदारी को उन्होने कहा था कि "जीवन की प्रत्येक गतिविधि सहकारिता के द्वारा सम्पादित होनी चाहिए। सहकारी सिद्धांतों के सफल होने का रहस्य है कि सदस्य ईमानदार हो, वे सहकारिता के महान अर्थ को समझते हों और इसका एक निश्चित उन्नतगामी लक्ष्य हो।"

गांधी जी ने ग्रामीण विकास के माध्यम से सुन्दर भारत का सपना संजोया था और इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने सहकारिता का ही रास्ता चुना था। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक सहकारी समितियों के गठन पर जोर दिया। गांधी जी सहकारी समितियों को गॉवों में संचालित होने वाले छोटे–छोटे उद्योगों के लिए ही आवश्यक नहीं मानते थे बल्कि उनकी धारणा थी कि लोगों को परस्पर सहयोग से कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली ये सहकारी समितियॉ आदर्श संस्थाओं का ही रूप है। तभी तो उन्होंने कहा था कि "सहकारी समितियॉ केवल ग्रामोद्योगों के विकास के लिए ही नहीं वरन् ग्रामवासियों में सामूहिक प्रयास की भावना का विकास करने के लिए भी आदर्श संस्थायें है।"

गांधी जी सोचते थे कि गॉव के लोग अपने–अपने झोपड़ों में बैठकर वस्तुओं का निर्माण करें लेकिन उन वस्तुओं का विक्रय एक साथ हो और विक्रय से होने वाला लाभ सभी लोगों में बराबर बंटे। इससे जहॉ एक ओर ग्रामवासियों को सहकारिता की भावना से एकजुट होकर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी वहीं दूसरी ओर यह योजना आर्थिक दृष्टिकोण से भेदभाव समाप्त करने में भी सहायक सिद्ध होगी। गांधी ने इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि "ग्रामवासी भले ही वस्तुओं को अपने झोपडियों में बैठकर बनायें परन्तु उन सब चीजों को इकट्ठा किया जा सकता है और उनसे होने वाला लाभ आपस में बॉटा जा सकता है। ग्रामवासी किसी विशेष योजना के अनुसार काम करें।कच्चा माल सार्वजनिक भंडार से लिया जाए।" गांधी जी ने अपने विचारों के माध्यम से ग्रामवासियों में सहयोग, समय की बचत और श्रम विभाजन की भावना को प्रोत्साहन दिया था। उन्होंने कहा कि "यदि सहकारिता से काम करने की भावना ग्रामवासियों में पैदा कर दी जाए तो सहयोग, श्रम विभाजन, समय की बचत और कार्यकुशलता के लिए निश्चय ही काफी अवसर है।"

महात्मा गांधी सहकारिता के माध्यम से देश में ऐसी अर्थ–व्यवस्था लाना चाहते थे जो ग्रामीण विकास में मददगार हो। वे सहकारिता को अर्थोपार्जन का नहीं वरन् सेवा व सहयोग का माध्यम समझते थे। उन्होंने कहा था कि "सहकारिता में उच्च काम प्राप्त करने के लिए पूंजी लगाना उसके सिद्धांतो का हनन है किन्तु सहकारी खेती निःसंदेह राष्ट्रीय हितों के उत्थान का सुन्दर लक्ष्य है।ऐसे आन्दोलन अनिष्टकारी हुए है जिनके प्रबन्ध की नींव बेईमानी और लक्ष्य अनिष्ट है।"

आज जब हम विचार करते हैं तो लगता है कि गांधी जी की विचारधारा ने सहकारिता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गांधी जी ने भारत के भविष्य की जो कल्पना की थी वह सहकारिता पर आधारित थी और आज भी गांधी जी के विचार सहकारिता के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हमारा सशक्त रूप से मार्गदर्शन कर सकते हैं।

यशोवर्धन पाठक,प्राचार्य
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र,जबलपुर

(पृष्ठ 1 का शेष)

सहकारिता आंदोलन में जिला सहकारी....

राजगढ़ जिले की समीक्षा में पाया गया कि ऋण असंतुलन तथा वित्तीय अनियमितता के प्रकरणों के चलते सहकारी बैंक की हालत खराब है। वहां 183 करोड़ रूपये का कालातीत ऋण है। वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरणों वसूली तथा एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश मंत्री डॉ गोविन्द सिंह द्वारा दिए गए। आगामी जून तक कम से कम 75 करोड़ ऋण राशि की वसूली कर ली जाए। विदिशा जिले में 45 करोड़ कालातीत ऋण शेष है, आगामी जून तक वसूली की जाए।

समीक्षा में होशंगाबाद जिले की स्थिति भी काफी खराब पाई गई, वहां 292 करोड़ का कालातीत ऋण शेष है, जिसमें अधिकांश गैर कृषि ऋण है। कई कर्मचारियों के खिलाफ मामले भी चल रहे हैं। कई प्रकरणों में संबंधित सहायक/उप पंजीयक द्वारा स्टे भी दे दिया गया है। इसे मंत्री श्री सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए गए कि ऐसे सहायक/उप पंजीयकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी वेतन वृद्धियां रोकी जाएं। सीहोर जिले की समीक्षा में पाया गया कि वहां जिला सहकारी बैंक का वर्ष 2016–17 में कालातीत ऋण 38 करोड़ था, जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर 280 करोड़ रूपये हो गया। ऋण वसूली को लेकर बैंक द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। इस पर सहकारिता मंत्री द्वारा नाराजी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि स्थिति नहीं सुधारी गई तो बोर्ड भंग करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि ऋण वसूली की मासिक योजना बनाकर सघन कार्रवाई की जाए। जो लोग कार्य करना नहीं चाहते वे बैंकों से बाहर जाने की तैयारी कर लें।

बैठक में अपैक्स बैंक के प्रशासक श्री अशोक सिंह, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी, सहकारिता आयुक्त श्री एम.के. अग्रवाल, एमडी अपैक्स बैंक श्री प्रदीप नीखरा, अपर आयुक्त सहकारिता श्री आर.सी. घिया सहित दोनों संभागों के जिला सहकारी बैंकों के प्रशासक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी तथा सभी संबंधित उपस्थित थे।

अधिक से अधिक पवन ऊर्जा परियोजनाएँ क्रियान्वित की जाएँ : मंत्री श्री यादव

भोपाल। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हर्ष यादव ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में अधिक से अधिक पवन ऊर्जा परियोजनाएँ क्रियान्वित की जाएँ। उन्होंने बताया कि राज्य शासन पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये तत्पर है। श्री यादव यहाँ पवन ऊर्जा परियोजना विकासकों, निर्देशकों और विंड टर्बाइन निर्माण कम्पनियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव श्री मनु श्रीवास्तव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री श्री हर्ष यादव ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में समुद्रतटीय प्रांतों की तुलना में वायु का वेग कम है। इसलिये पवन ऊर्जा उत्पादन के लिये अन्य संभावनाओं का पता लगाना जरूरी है। बैठक में बताया गया कि इस समय प्रदेश में करीब ढाई हजार मेगावॉट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित हैं। ऊर्जा विभाग के पास 5 हजार मेगावॉट की परियोजनाएँ पंजीकृत हैं। प्रदेश में 10 हजार मेगावॉट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की संभावनाएँ मौजूद हैं।

गुणवत्तापूर्ण खाद–बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने प्रदेशव्यापी अभियान

भोपाल। किसानों को रबी सीजन में गुणवत्तापूर्ण खाद–बीज उपलब्ध कराने के लिये प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास और उद्यानिकी एवं खाद्य प्र–संस्करण मंत्री श्री सचिन यादव ने कृषि उत्पादन आयुक्त को निर्देश दिये हैं कि अभियान के दौरान बाजार में अमानक स्तर के खाद–बीज विक्रेताओं पर कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रदेशव्यापी अभियान के अन्तर्गत सभी जिलों में पर्याप्त जाँच दल गठित करने के निर्देश दिये गये हैं। इन दलों द्वारा बाजार में विक्रय किये जा रहे खाद–बीज की गुणवत्ता के सैम्पल लिये जाएंगे और उसकी जाँच कराई जाएगी। जाँच की रिपोर्ट के आधार पर अमानक स्तर के खाद–बीज विक्रेताओं पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

(पृष्ठ 1 का शेष)

दस हजार सहकारी संस्थाओं के पंजीयन....

एकमुश्त समझौता योजनान्तर्गत शून्य ब्याज दर पर जिला सहकारी बैंकों को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। शेष 27 बैंकों को कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत परिसमापकों द्वारा बैंकों की अस्तियों एवं दायित्वों की स्थिति के प्रकाशन की कार्रवाई के अंतर्गत केवल 4 बैंकों छिंदवाड़ा, मंदसौर, राजगढ़ एवं उज्जैन द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई। शेष 34 बैंकों को इस संबंध में जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के पास जो अचल संपत्तियाँ हैं, उन्हें शासन द्वारा बैंकों को दिए गए ऋणों के विरूद्ध शासन को हस्तांतरित करने संबंधी प्रस्ताव शीघ्र राज्य स्तर पर भिजवाए जाने के निर्देश दिए गए। सभी बैंक को परिसमापन संबंधी अंतिम आदेश जारी करने की कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा गया। निर्देश दिए गए कि जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के विभिन्न अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन एवं दायित्वों के निराकरण के संबंध में सहकारिता अधिनियम एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जाए।

बैठक में अपर आयुक्त सहकारिता श्री आर.सी. घिया सहित प्रदेश के सभी जिलों के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, परिसमापक अधिकारी आदि उपस्थित थे।

डॉ. अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, ग्वालियर (म.प्र.)

14, मयूर मार्केट, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर

आर्थिक स्थिति विवरण-पत्रक

दिनांक 31.03.2019

क्र.	राशि 31.03.18	दायित्व		राशि 31.03.19	क्र.	राशि 31.03.18	सम्पत्ति		राशि 31.03.19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	16891300.00	**अंश पूंजी**		17055475.00	1	**2718776.00**	**रोकड़ एवं बैंक**		**3259000.00**
		अंश	16984000.00				रोकड़ हाथ में	3259000.00	
		अंशपूंजी सदस्य	71375.00		2	26399804.02	**बैंक खाता बैलेन्स**		27668698.62
		नाम मात्र	100.00				एक्सिस बैंक	1973700.28	
2	**29817656.98**	**निधियाँ**		**32088379.10**			सी.सी. बैंक ग्वा. बचत खाता	79846.34	
		आकस्मिक निधि	333728.00				एस.बी. इण्डिया अलापुर	12268564.93	
		रक्षित निधि	9602877.40				चालू खाता सी.सी. बैंक ग्वा.	1000.00	
		डूबन्त ऋण प्रारक्षित निधि	5946160.31				चालू खाता म.प्र. राज्य सह. बैंक	186556.92	
		भवन निधि	10089932.39				आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड	4131367.09	
		धर्मार्थ निधि	225378.00				चालू खाता यूको बैंक क्लियरिंग हाउस	11012.00	
		लाभांश समीकरण निधि	5090303.00				आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ग्वा.	2989461.33	
		कम्प्यूटराईजेशन निधि	800000.00				एस.बी.आई. क्लियरिंग हाउस	478564.67	
3	**352271462.38**	**जमा एवं निक्षेप**		**352942280.70**			एच.डी.एफ.सी. बैंक क्लियरिंग हाउस	610247.00	
		चालू खाता	771974.27						
		बचत खाता	134110629.43				चालू खाता आई.सी.आई.सी.आई. बैंक भोपाल	8799.53	
		आवर्ती अमानत	4377595.00				आई.डी.बी.आई. क्लियरिंग खाता	1366517.77	
		सावधि जमा व्यक्तिगत	175255685.00				यस बैंक लिमिटेड	3563060.76	
		मेच्यूरिटी बट नोट पेड	703738.00		3	**233711853.00**	**सावधि जमा एवं विनियोग**		**245667001.00**
		अल्पावधि सावधि जमा	22059874.00				सावधि जमा एस.बी.आई. अलापुर	43127058.00	
		क्यू.आई.एस. सावधि जमा	3800142.00				सावधि जमा एस.बी.आई. सिटी सेन्टर	21685434.00	
		हितकारी अल्प बचत योजना	11862643.00				सावधि जमा म.प्र.राज्य सह.बैंक	31374238.00	
4	**26781494.44**	**अन्य देनदारियाँ**		**32690135.89**			शासकीय प्रतिभूति आई.सी.आई.सी. आई. बैंक	76281960.00	
		डीफ पे–बिल	1089686.00				सावधि जमा एस.बी.आई. मोदी हाउस	16298791.00	
		विविध देनदारियॉं	573388.50				सावधि जमा आई.डी.बी.आई. बैंक	30375890.00	
		लिटिगेशन	9000.00				सावधि जमा एस.बी.आई. मयूर मार्केट	3934521.00	
		अतिदेय ब्याज	27735729.00				सावधि जमा पंजाब एण्ड सिंध बैंक	22588909.00	
							अंशों में विनियोग	200.00	
		चैक प्राप्त	498221.00		4	**149474460.90**	**ऋण एवं अग्रिम खाता**		**139452698.90**
		डी.डी. पे–बिल	231979.00				नगद साख	3110629.30	
		टी.डी.एस. खाता	187427.00				अल्पावधि ऋण	313684.00	
		सदस्यता लाभांश	866795.00				अधिविकर्ष ऋण	1733514.00	
		अनक्लेम बचत	1165684.36				सावधि जमा पर ऋण	294647.00	
		ब्याज देय सावधि	96589.00				दीर्घावधि जमा ऋण	124960881.60	
		सस्पेंस खाता	57309.00				मध्यावधि ऋण	8995419.00	
		अन क्लेम चालू खाता	147793.85				शासकीय प्रतिभूतियों पर ऋण	43924.00	
		अनपेड देनदारी यस बैंक	Nil		5	**472296.00**	**अन्य सम्पत्तियाँ**		**362332.00**
		अनपेड देनदारी ICICI बैंक	3629.18				स्टॉक इन्वर्टर एवं बैटरी	86255.00	
		कर्मचारी भविष्य निधि	26905.00				स्टॉक कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर	45077.00	

क्र.	राशि 31.03.18	दायित्व		राशि 31.03.19	क्र.	राशि 31.03.18	सम्पत्ति		राशि 31.03.19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	20957070.00	प्रावधान		24297444.00			लाइब्रेरी	14495.00	
		प्रावधान आयकर	705446.00				सिक्योरिटी ऑन टेलीफोन	6120.00	
		ह्रास शासकीय प्रतिभूतियों पर	1829000.00				डेड स्टॉक फर्नीचर एवं फिक्चर्स	210385.00	
		मानक आस्तियों पर	2601010.00						
		ऑडिट फीस	44851.00						
		कर्मचारी ग्रेच्युटी फण्ड	861615.00						
		अशोद्ध एवं संदिग्ध ऋण	15755522.00		6	36224791.00	अन्य लेनदारियाँ		43816197.21
		प्रावधान फ्राड मास्टर्स कम्प्यूटर्स	2200000.00				अनक्लेम बचत	1165684.36	
		प्रावधान लीव	200000.00				अग्रिम खाता	220460.00	
		वेतन प्रावधान	100000.00				ई.सी.एस. रिटर्न क्लियरिंग	137968.00	
6	2282997.12	शुद्ध लाभ	1152213.04	1152213.04			डीफ फण्ड रिसेवेबिल	1089686.00	
							डिमान्ड फॉम मास्टर कम्प्यूटर्स	1895975.00	
							प्राप्ति योग्य ब्याज (विनियोग पर)	7660820.00	
							अनक्लेम जमा	47428.00	
							अनक्लेम चालू खाता	147793.85	
							अप्राप्त ब्याज (ऋणों पर)	29076955.00	
							चैक कलेक्शन	498221.00	
							अग्रिमकर एवं टी.डी.एस.(सावधियों पर)	1742622.00	
							टी.डी.एस. प्राप्त	132584.00	
			Total	460225927.73				Total	460225927.73

(श्रीमती सुषमा बघेल)
प्रबंधक
डॉ. अम्बेडकर नाग.सह. बैंक
मर्यादित, ग्वालियर

A.B.A

(राकेश आर्या)
प्रबंधक
डॉ. अम्बेडकर नाग.सह. बैंक
मर्यादित, ग्वालियर

(मनोज सुमन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
डॉ. अम्बेडकर नाग.सह. बैंक
मर्यादित, ग्वालियर

(अरविन्द ...)
गली नं. ..., बिरला नगर,
ग्वालियर

GAUR & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS BIRLA NAGAR GWALIOR

(एस0आर0 जरसोनिया)
अध्यक्ष
डॉ. अम्बेडकर नाग.सह. बैंक
मर्यादित, ग्वालियर

डॉ0 अम्बेड़कर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, ग्वालियर (म.प्र.)

14, मयूर मार्केट, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर

लाभ / हानि पत्रक 31.03.2019

S.No.	Debit 31.03.2018	Particulars	Amount 31.03.2019		Credit 31.03.2018	Particulars	Amount 31.03.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7519.00	मार्ग व्यय	48095.00	1	10563471.00	ब्याज प्राप्त विनियोगों पर	10590731.00
2	60425.50	स्टेशनरी एवं रजिस्टर	56291.00	2	20330836.00	ब्याज प्राप्त ऋणों पर	16816848.00
3	48682.00	टायपिंग एवं फोटोकॉपी	28540.00	3	7406214.44	शास. प्रति. पर ब्याज प्राप्त	5986920.00
4	3000.00	क्लोजिंग एलाउन्स	2500.00	4	--	डी.डी. पर कमीशन	1400.00
5	1072788.00	ऑफिस किराया	1046837.00	5	16325.00	आवेदन शुल्क	15655.00
6	40275.00	व्यवसाय विकास व्यय	--	6	487830.76	अन्य आय	54678.99
7	27958.00	ऑफिस मेंटीनेंस	35294.00	7	21090.00	चैक बुक चार्जेस	20703.00
8	246531.00	बिजली व पानी व्यय	221028.00	8	34593.00	ऋण प्रक्रिया शुलक	76950.00
9	177696.00	वार्षिक आमसभा व्यय	196895.00	9	600.00	पूर्ण ऋण उपयोगिता	1800.00
10	51546.00	पोस्टेज एवं टेलीफोन	56207.00	10	303890.00	अग्रिम कर वापस	197518.00
11	58777.00	बैठक व्यय संचालक मण्डल	83886.00	11		Total	33763204.00
12	476835.00	बीमा व्यय	480336.00	12			
13	72892.00	विज्ञापन व्यय	106510.00				
14	39116.45	बैंक चार्जेज	876.72				
15	102512.49	अन्य व्यय	479532.50				

S.No.	Debit 31.03.2018	Particulars	Amount 31.03.2019
1	2	3	4
16	266119.74	डेड स्टॉक ह्रास	52852.00
17	221436.00	वाहन भाड़ा	197070.00
18	113000.00	ह्रास शासकीय प्रतिभूतियों पर	16000.00
19	65180.00	ऑडिट फीस	35700.00
20	473537.00	एजेन्ट कमीशन	637408.00
21	83265.00	कानूनी सलाहकार व्यय	2800.00
22	7000.00	गणवेश व्यय	11300.00
23	375000.00	मानक आस्तियों पर	348620.00
24	200000.00	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण पर	1500000.00
25	93900.00	क्लियरिंग हाउस चार्जेज	26340.00
26	117000.00	आन्तरिक अंकेक्षण व्यय	120000.00
27	184306.90	कम्प्यूटर मेन्टीनेंस व्यय	234835.00
28	3493786.00	वेतन खाता	3754647.00
29	410244.00	कर्मचारी भविष्य निधि	171508.00
30	10000.00	चन्दा जिला संघ	--
31	3150.00	सर्विस टैक्स	666.00
32	--	अर्जित अवकाश प्रावधान	200000.00
33	--	आर.बी.आई. पेनल्टी	50000.00
34	--	ह्रास	34907.00
35	207977.00	निर्वाचन व्यय संचालक मण्डल	--
36	5808.00	कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय	34610.00
37	--	अग्रिम कर	705446.00
38	--	ह्रास डैड स्टॉक इनवर्टर	28107.00
39	26236305.00	ब्याज बिना जमा निक्षेपों पर	20886103.73
40	1137809.00	डी.पी.एफ. व्यय	49950.00
41	97176.00	टी.डी.एस. व्यय	46.00
42	29500.00	एजेन्ट कमीशन (ई.पी.एफ.)	58747.00
43	61300.00	एजेन्ट कमीशन (टी.डी.एस.)	108000.00
44	2500.00	प्रोफेशनल टैक्स बैंक	2500.00
45	500000.00	कर्मचारी ग्रेच्युटी	500000.00
46	2282997.12	कुल लाभ	1152213.04
	39164850.20	Total	33763203.99

(श्रीमती सुषमा बघेल)
प्रबंधक
डॉ. अम्बेडकर नाग.सह. बैंक
मर्यादित, ग्वालियर

A.B.A

(राकेश आर्य)
प्रबंधक
डॉ. अम्बेडकर नाग.सह. बैंक
मर्यादित, ग्वालियर

(मनोज सुमन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
डॉ. अम्बेडकर नाग.सह. बैंक
मर्यादित, ग्वालियर

(अरविन्द गौर)
गली नं. 2, बिरला नगर

(एस.के. ...)
अध्यक्ष
डॉ. अम्बेडकर नाग.सह. बैंक
मर्यादित, ग्वालियर

डॉ० अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित

अंकेक्षण प्रमाण–पत्र

मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता अंकेक्षक प्रमाणित करती हू कि मैंने डॉ. अम्बेड़कर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक जे.आर.जी.डब्ल्यू.आर.–4/ दिनांक 10 मार्च 1995 है। जो तहसील व जिला ग्वालियर में स्थित है, का अंकेक्षण पंजीयक सहकारी समितियां म.प्र. भोपाल द्वारा प्रस्तावित विधि से पूर्ण किया है।

बैंक का पंजीयन प्रमाण–पत्र विधिवत सही है तथा बैंक में रखा गया है मेरे द्वारा डॉ. अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, ग्वालियर 31 मार्च 2019 तक का स्थिति विवरण पत्रक तथा लाभ–हानि पत्रक जो उस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष में लेखों से संबंधित तक की जॉच की गई है, यह स्थिति विवरण। पत्रक तथा लाभ–हानि पत्रक बैंक के प्रधान कार्यालय में रखे गये है।

अतः मेरे द्वारा प्रस्तुत संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा साथ में संलग्न आक्षेपों तथा स्थिति विवरण पत्रक पर अंकित टीप के अधीन हैं।

1 बैंक का व्यवसाय आमतौर से अच्छी तरह से विधिवत तथा ईमानदारी से व उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम तथा उनके अंतर्गत बने नियम जो प्रभावशील है के अन्तर्गत पंजीयक सहकारी समितियां म.प्र. से प्रशासकीय निर्देशों के अनुसार जो कि समय–समय पर भेजे गये तथा बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट की आवश्यकता के अनुसार किया गया है ।

2 बैंक की स्थिति विवरण पत्रक पूर्ण रूप से स्पष्ट है । इसमें आवश्यक सभी जानकारी जो बैंक के व्यवहार और स्थिति को दर्शाते हैं का समावेश किया गया है, तथा जो जानकारी बैंक के खाते में दर्शाई गई दिखाई देती है वह इसमें सब परिलक्षित होती है ।

3 मुझे जानकारी व स्पष्टीकरण की जब–जब आवश्यकता हुई वह जानकारी मुझे प्राप्त हुई।

4 बैंक के व्यवहार जो मेरी जानकारी में आये वे सभी बैंक के कार्य सीमा में किये गये है ।

5. अंकेक्षण हेतु जो भी प्रपत्र एवं लेखा बैंक से बुलाये या प्राप्त किये गये है सभी पूर्ण तथा पर्याप्त हैं । जिनकी जानकारी विवरण निर्देशिका एक में दी गई है।

6. बैंक का लाभ–हानि पत्रक संलग्न निर्देशिका 1 में वर्णित जानकारी को छोड़कर बैंक के लाभ का सही चित्र प्रस्तुत करता है। सी.बी.एस में माइग्रेशन के कारण कुछ तकनीकी कमी है जिसकी जानकारी निर्देशिका में दी गई है।

7. मेरे मत से संस्था का स्थिति विवरण पत्रक एवं लाभ–हानि नियमों के अनुसार बनाये गये हैं। जिनकी जानकारी निर्देशिका एक में दी गई है।

8. मेरे मत से अधिकोष द्वारा सभी हिसाब नियमों की आवश्यकता के मुताबिक रखे गये है ।

अतः मैं अधिकोष को पंजीयक सहकारी समितियां म.प्र. भोपाल द्वारा प्रसारित नियमों में दी गई कसोटियों के आधार पर अंकेक्षण वर्ष 2018–19 के लिये वर्ग "ब" श्रेणी प्रदान करता हूँ ।

स्थान : ग्वालियर

दिनांक : 30/09/2019

For ARVIND GAUR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(PARTNER)

अरविन्द गौर एण्ड कम्पनी
न्यू कॉलोनी नं.2, बिरला नगर,
ग्वालियर

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धार (म.प्र.)

स्थिति विवरण पत्रक 31.03.2019 पर

गतवर्ष की रकम	पूंजी तथा देनदारिया	रकम	कुल रकम
1	2	3	4
1,00,00,00,000.00	1. अंशपूंजी		1,00,00,00,000.00
	2. अधिकृत पूंजी		
	(अ) वर्ग रू. 1000 प्रति अंश	10,00,000.00	
	(ब) वर्ग रू. 1000 प्रति अंश	-	
	(स) वर्ग रू.100प्रति अंश	-	
	(द) वर्ग रू. 100प्रति अंश	-	
1,00,00,00,000.00	3. अभिदत्त अशंपूंजी		1,00,00,00,000.00
	4. प्रदत्त अंशपूंजी		
52,25,18,271.00	2.सहकारी समिति 517595 प्रतिअंश 1000	54,03,53,271.00	
-	3. अंशो में प्रति अंश 1000	0.00	
51,642.00	4.अंशो में प्रति नाममात्र सदस्य अंश 496 रू 100	52,442.00	
2,92,13,795.00	5. अन्य अंश एनसीडीसी (आईसीडीपी)	2,45,56,295.00	
		56,49,62,008.00	
55,17,83,708.00	**5. उक्त में से धारित**		**74,70,50,728.00**
52,25,18,271.00	(1)सहकारी समिति 513079 प्रतिअंश 1000	54,03,53,271.00	
0.00	(2) अंशो में प्रति अंश 1000	0.00	
51,642.00	(3)अंशो में प्रति नाममात्र सदस्य अंश 496 रू 100	52,442.00	
2,92,13,795.00	(4) अन्य अंश एनसीडीसी (आईसीडीपी)	2,45,56,295.00	
	(5). शासन से प्राप्त अंशपुंजी	18,20,88,720.00	
80,33,43,122.11	**2) रक्षित कोष अन्य निधिया**		**93,55,34,602.25**
6,65,28,708.24	रक्षित कोष सहकारी संस्था	7,81,05,538.24	
7,85,300.00	रक्षित कोष शासन से	7,85,300.00	
8,71,898.70	विशेष डुबन्त ऋण एव संदिग्ध ऋण पूति कोष से	8,71,898.70	
4,71,05,763.00	कृषि साख स्थायित्व निधि कोष	5,54,94,721.00	
8,193.63	सहकारी भण्डार रख रखाव निधि कोष	8,193.63	
37,77,44,220.00	संदिग्ध एवं डुबन्त ऋण कोष	46,77,44,220.00	
-	मानक अस्तियों हेतु प्रावधान	-	
60,330.53	विनियोग अवमूल्यन कोष	60,330.53	
1,51,16,271.40	कम्प्युटर कोष	1,51,16,271.40	
72,66,384.00	अंश विमोचन निधि	72,66,384.00	
44,27,154.00	प्रशिक्षण निधि	53,53,300.00	
1,76,89,535.20	ऋण असंतुलन कोष	2,76,89,535.20	
88,19,859.00	सहकारी विकास निधि	1,06,72,151.00	
12,39,399.00	ग्रेज्युटी कर्मचारी कोष	11,86,451.00	
23,72,814.02	कर्मचारी सामान्य निधि	24,75,414.02	
82,00,000.00	फर्नीचर फिक्चर निधि	82,00,000.00	
5,65,000.00	चेरिटी कोष	5,65,000.00	
-	अन्य कोष	-	
55,01,284.28	साज सज्जा कोष	55,01,284.28	
43,34,443.47	वाहन कोष	43,34,443.47	
1,11,204.00	जोखिम कोष शासन से	1,11,204.00	
3,90,12,135.70	भवन कोष	3,90,12,135.70	
21,968.00	लाभांश पूर्ति कोष	21,968.00	
5,147.60	शिक्षा कोष	5,147.60	
12,08,22,668.20	ओव्हरड्यू ब्याज रिजर्व	12,08,22,668.20	
-	सहकारिता विकास निधी के लिये कोष	-	
97,85,145.00	वैद्यनाथन पुर्नपुंजीकरण सहायता राशि	97,85,145.00	
4,76,14,947.43	सम्पति पूनर्मुल्यांकन कोष	4,76,14,947.43	

गतवर्ष की रकम	सम्पत्तिया तथा अस्तिया	रकम	कुल रकम
1	2	3	4
11,18,47,573.52	1. रोकड तिजोरी		**11,41,81,189.52**
1,00,27,35,224.46	**(म.प्र. राज्य सह. बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एवं नोटीफाईड बैंक)**		**1,10,54,86,466.57**
38,72,24,143.62	1. करण्ट अकॉ0 अपेक्स बैंक इन्दौर	66,41,06,792.20	
1,70,870.68	2. करण्ट अकॉ0 अपेक्स बैंक शाखा भोपाल	14,38,433.98	
3,06,91,018.71	3. करण्ट अकॉ0 अपेक्स बैंक भोपाल	22,24,158.21	
28,04,11,564.92	4. करण्ट अकॉ0 भारतीय स्टेट बैंक	2,83,80,019.62	
29,11,439.44	5. भारतीय स्टेट बैंक रधुनाथपुरा	32,14,855.03	
74,53,526.38	6. भारतीय स्टेट बैंक सीएसजीएल	2,30,686.94	
4,69,58,990.12	7. कंरट खाता बैंक ऑफ इंडिया	2,52,910.62	
24,01,20,303.79	8. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	40,52,14,153.11	
52,02,593.00	9. बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2,34,255.60	
-	10. बैंक आफ बडोदा	99,905.00	
15,90,773.80	10. कंरट खाता पंजाब नेशनल बैंक	90,296.26	
23,51,19,478.21	**(अन्य बैंक मं)**		**16,33,59,965.81**
6,97,31,062.70	1. करण्ट अकॉ0 एक्सिस बैंक	28,00,323.47	
10,32,63,236.77	2. करण्ट अकॉ0 आईसीआईसीआई बैंक	8,84,23,471.51	
38,36,464.35	3. करण्ट अकॉ0 एच डी एफ सी बैंक	37,82,715.57	
4,75,229.95	4. एच डी एफ सी बैंक समाशोधन खाता	-	
4,97,22,573.03	5. करण्ट अकॉ0 आईडीबीआई बैंक	1,45,35,024.64	
-	6. करण्ट अकॉ0 आईडीबीआई सी टी एस क्लेरिंग	3,69,96,958.86	
61,804.80	7. करण्ट अकॉ0 कोटेक महेन्द्रा बैंक	0.00	
12,095.00	8. करण्ट खाता केनरा बैंक में	12,095.00	
80,17,011.61	9. करण्ट खाता अन्य बैंक	17,91,139.85	
	10. कंरट खाता आय सी आय सी आय आय एम पी एस	20,00,000.00	
	11. कंरट खाता आय सी आय सी आय ए टी एम	1,30,18,236.91	
-	10. काल मनी	-	
51,20,49,678.12	**(सावधि जमा म.प्र. राज्य सह. बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एवं नोटीफाईड बैंक)**		**70,00,92,092.12**
47,55,45,694.00	1. मुद्धती अमानत विथ अपेक्स बैंक	31,14,01,020.00	
2,00,03,836.00	2. मुध्दती अमानत स्टेट बैंक आफ इन्दौर	-	
-	3. मुध्दती अमानत बैंक आफ महाराष्ट्र	-	
1,65,00,148.12	4. मुध्दती अमानत विथ नोटी फाइड बैंक (ड्डी व आय एवं सी बी आय	69,35,599.12	
-	5. मुध्दती अमानत विथ आयडीबीआय बैंक	38,17,55,473.00	
-	**(सावधि जमा अन्य बैंक)**		-
-	1. मुध्दती अमानत विथ धार झाबुवा ग्रामीण बैंक	-	
-	2. मुध्दती अमानत अन्य प्रायवेट बैंक	-	
1,34,81,46,164.00	**विनियोग**		**1,52,54,44,649.00**
1,09,95,73,010.00	1. सहकारी बाण्ड प्रतिभुति	1,24,42,28,010.00	
21,71,00,000.00	2. अंश क्रय अपेक्स बैंक	24,75,00,000.00	
15,60,000.00	3. अंश अन्य सहकारी संस्थाए	15,60,000.00	
2,99,13,154.00	4. रिजर्व फण्ड डिपा0 विथ अपेक्स बैंक	3,21,56,639.00	
	(अंशपूंजी)		
-	1. केन्द्रीय सह. अधिकोष	-	
-	2. प्राथमिक सह. समिति	-	
8,07,94,78,038.46	**(ऋण)**		**9,70,04,18,932.59**
2,65,22,81,314.13	**अल्पकालीन कृषि ऋण**		**2,54,62,44,562.28**

गतवर्ष की रकम	पूंजी तथा देनदारिया	रकम	कुल रकम
1	2	3	4
5,541.00	लांभास सहकारी समिति प्रावधान	6,337.00	
30,00,000.00	एक्सग्रेसिया कर्मचारी प्रावधान	30,00,000.00	
60,00,000.00	तकनीकि ग्राह्य फण्ड	60,00,000.00	
83,27,806.71	संचित लाभ	1,77,24,612.85	
	3. राज्य शासन भागीदारी मुल सहायक अंशपूंजी		
-	1. केन्द्रीय सह.अधि.	-	
-	2. प्राथिमिक सहकारी समिति	-	
-	3. अन्य समिति	-	
5,50,75,97,043.86	**4. अमानतें एवं अन्य अमानत**		**5,63,67,63,974.97**
	(मुददती अमानते)		
34,19,45,474.09	1. सहकारी समिति	29,52,51,230.09	
2,12,48,43,957.24	3. व्यक्तीगत अमानत	2,29,09,40,350.02	
29,24,02,715.62	4. अन्य समितिया अमानत	46,31,13,523.59	
9,00,000.00	5. आर्वतक अमानत सहकारी समिति	1,00,000.00	
77,60,291.59	6. आर्वतक अमानत व्यक्तीगत	94,10,221.57	
-	7. कालातीत अमानत	0.00	
2,76,78,52,438.54	**योग (1+2+3+4+5+6+7)**	**3,05,88,15,325.27**	
	(बचत अमानते)		
92,85,77,579.04	1. सहकारी समितिया	41,21,83,330.05	
1,35,15,65,706.66	2. व्यक्तिगत	1,73,76,77,410.59	
18,52,65,091.12	3. अन्य समितिया	19,42,80,479.38	
2,46,54,08,376.82	**योग (1+2+3+4+5)**	**2,34,41,41,220.02**	
	(चालु अमानते)		
3,56,19,931.66	1. सहकारी समितिया	2,52,59,740.67	
3,49,87,850.73	2. व्यक्तिगत	5,08,04,240.61	
1,28,55,338.95	3. अन्य समितिया	84,80,351.90	
11,25,53,059.86	4. केश क्रेडिट सहकारी समितिया	6,31,03,348.57	
19,60,16,181.20	**योग (1+2+3+4+5)**	**14,76,47,681.75**	
	(द) अन्य अमानत		
34,18,290.77	1. अनिवार्य अमानत सहकारी समितिया	39,13,991.77	
8,90,866.39	2. अनिवार्य अमानत व्यक्तिगत	9,75,633.39	
4,12,74,606.90	3. रक्षित कोष सहकारी संस्थाए	4,45,22,513.90	
2,67,55,561.09	4. विशेष डुबंत ऋण पूर्ति कोष	2,94,87,425.09	
56,12,550.06	5. रिस्क फण्ड (जोखिम कोष)	68,23,657.06	
3,68,172.09	6. सुरक्षा डिपाजिट कर्मचारी	4,36,526.72	
-		0.00	
7,83,20,047.30	**योग (1+2+3+4+5+6)**	**8,61,59,747.93**	
3,25,31,35,904.00	**(ग्रहित ऋण)**		**5,71,84,65,293.00**
2,88,00,00,000.00	(अ) रिजर्व बैंक द्वारा राज्य अधिकोष (अल्पकालीन नगद साख अवधी) प्रतिभूति पर		**4,33,80,00,000.00**
2,25,41,00,000.00	अल्पावधि ऋण नार्मल	2,61,75,00,000.00	
25,07,00,000.00	अल्पावधि ऋण ट्रायबल	71,20,00,000.00	
37,52,00,000.00	अल्पावधि ऋण एनओडीपी	1,00,85,00,000.00	
	(ब) एफसीसी अपेक्स बैंक	-	
	(स) अन्य ठोंस प्रतिभूति पर	-	
36,32,57,330.00	**2. मध्यकालीन ऋण**		**8,10,79,950.00**
-	(अ) शासकीय प्रतिभूति पर	-	
-	(ब) अन्य ठोंस प्रतिभूति पर	-	
32,87,00,000.00	एमटी ऋण परिवर्तित	4,47,70,000.00	
25,98,520.00	एमटी ऋण पाइप लाईन	31,65,330.00	
-	एमटी ऋण एग्रीकल्चर	17,00,000.00	
3,19,58,810.00	एमटी ऋण डेहरी फायनेंस	3,14,44,620.00	
98,78,574.00	**3–2.लम्बी अवधि ऋण की प्रतिभूति**		**92,21,432.00**

गतवर्ष की रकम	सम्पत्तिया तथा अस्तिया	रकम	कुल रकम
1	2	3	4
61,15,01,937.76	1. क्रेड़िट कार्ड सामान्य न0 1	61,50,00,125.90	
76,19,74,814.97	2. क्रेड़िट कार्ड सामान्य न0 2	68,51,92,790.46	
20,37,74,321.17	3. क्रेड़िट कार्ड अल्पावधि ट्रायबल न0 1	20,69,84,221.30	
33,03,81,794.38	4. क्रेड़िट कार्ड अल्पावधि ट्रायबल न0 2	33,72,80,570.82	
38,24,13,680.83	5. ऋण अल्पावधि तिलहन क्रेडिट कार्ड न0 1	35,02,18,619.34	
22,45,48,759.61	6. ऋण अल्पावधि तिलहन क्रेडिट कार्ड न0 2	21,79,30,929.16	
10,47,03,203.93	7. ऋण अल्पा.क्रेडिट कार्ड ट्रायबल तिलहन न. 1	10,78,69,148.93	
3,29,82,801.48	8. ऋण अल्पा.क्रेडिट कार्ड ट्रायबल तिलहन न. 2	2,57,68,156.37	
6,72,62,074.16	**अल्पकालीन अकृषि ऋण**		**7,94,91,344.35**
66,51,547.83	1. ऋण फिशरमैन .क्रेडिट कार्ड	67,00,649.13	
1,08,641.00	2. ऋण अल्पावधि अकृषि	1,08,641.00	
65,085.00	3. ऋण अल्पावधि खाद्यान्न गृहणी	65,085.00	
1,82,731.60	4. ऋण अल्पावधि आभूषण तारण ऋण सामान्य	1,92,936.60	
5,84,880.10	5. आभूषण तारण ऋण हरि0 + आदि0	4,62,094.10	
2,85,38,069.00	6. मुध्दती अमानत तारण ऋण	3,91,44,554.86	
34,772.05	7. एन एस सी तारण.ऋण	30,297.05	
21,67,176.00	8. वेयर हाउस तारण ऋण	21,67,176.00	
35,98,176.58	9. अधिविकर्ष ऋण कर्मचारी	31,08,003.61	
2,52,81,876.00	10. अधिविकर्ष ऋण मुध्दती अमानत	2,74,95,261.00	
49,119.00	11. अग्रिम कर्मचारी	16,646.00	
67,68,69,303.38	**मध्यकालीन कृषि ऋण**		**60,16,34,451.12**
67,50,01,627.08	1. एमटी 3 वर्षिय परिवर्तित ऋण	59,85,23,520.82	
14,64,776.30	2. एम.टी. पाईप लाईन	11,46,059.30	
4,02,900.00	3. एम टी डगवेल	4,56,185.00	
	4. एग्रीकल्चर कृषि ऋण	15,08,686.00	
7,49,69,935.32	**मध्यकालीन अकृषि ऋण**		**6,93,89,466.07**
4,66,187.00	1. एम.टी. ऋण कर्मचारियों की साख संस्था	600.00	
4,68,936.00	2. एम.टी. अंत्यव्यवसायी	4,68,936.00	
1,03,81,746.80	3. एमटी व्यावसायिक यातायात ऋण	99,32,376.80	
6,44,661.26	4. एमटी वाहन ऋण कर्मचारी	6,18,299.26	
80,53,948.87	5. एमटी उपभोक्ता ऋण कर्मचारी	80,00,802.87	
12,554.00	6. एमटी ऋण कम्प्युटर	12,554.00	
3,93,957.00	7. एमटी व्यक्तिगत ओघोगिक ईकाई	3,93,957.00	
2,28,42,334.00	8. एमटी डेयरी फायनेन्स	2,09,74,813.75	
2,42,81,083.00	9. एमटी भोज सोया संयत्र	2,42,80,082.00	
49,150.00	10. एमटी ईईसी गोदाम ऋण	49,150.00	
1,32,444.39	11. एमटी परिसमापक ऋण	1,32,444.39	
3,33,737.00	12. एमटी हायपोथिकेशन ऋण	3,33,737.00	
-	13. स्वर्ण जंयती रोजगार योजना	-	
5,13,482.00	14. एम टी ऋण मल्टी सर्विस सैन्टर	2,93,688.00	
3,55,320.00	15. एम टी ऋण पी एम मुद्रा	1,21,970.00	
5,05,699.00	16. एम टी नर्सरी ऋण	5,71,233.00	
19,73,201.00	17. एम टी मारग्रेज ऋण	16,73,738.00	
3,21,564.00	18. एम टी गोट ऋण	1,33,124.00	
32,39,930.00	19. एम टी पोली हाउस	13,97,960.00	
17,04,171.00	**दीर्घकालीन कृषि ऋण**		**6,61,415.00**
17,04,171.00	1. एलटी ऋण ट्रेक्टर	6,61,415.00	
2,90,06,439.56	**दीर्घकालीन अकृषि ऋण**		**2,93,98,156.56**
1,19,27,554.56	1. एल.टी. आवास ऋण	1,20,76,637.56	
1,58,31,495.00	2. एल.टी. आवास ऋण कर्मचारी	1,52,36,877.00	
97,202.00	3. एलटी ऋण गोदाम निर्माण एनसीडीसी	-	
11,50,188.00	4. एल टी कार लोन	20,84,642.00	

गतवर्ष की रकम	पूंजी तथा देनदारिया	रकम	कुल रकम
1	2	3	4
	(अ) शासकीय प्रतिभूति पर		
98,78,574.00	(ब) अन्य ठोंस प्रतिभूति पर (एनसीडीसी से आईसीडीपी प्रोजेक्ट)	92,21,432.00	
	4–3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया		
	(अ) अल्पकालीन ऋण	-	
	(ब) मध्यकालीन ऋण	-	
	(स) लम्बी अवधि ऋण	-	
	5– राज्य शासन		
	(अ) अल्पकालीन ऋण	-	
	(ब) मध्यकालीन ऋण	-	
	(स) लम्बी अवधि ऋण	-	
	1. शासकीय प्रतिभूति पर	-	
	6 –अन्य से		**1,29,01,63,911.00**
16,00,00,000.00	अधि0 ऋण नाबार्ड	20,00,00,000.00	
34,62,677.17	अधि0 ऋण आय डी बी आय	9,01,63,911.00	
1,19,08,50,485.00	एनसीडीसी से केश क्रेडिट ऋण	1,00,00,00,000.00	
	वसूली योग्य बिल प्रतिभूति अनुसार	-	
2,35,86,848.26	शाखाओं का जमा खर्च		**1,58,02,974.79**
11,85,46,982.27	ब्याज जो देना है (देय ब्याज)		**15,42,59,906.04**
4,99,24,126.58	**(देनदारिया)**		**41,52,70,413.51**
69,215.84	1. लोकल आयटम क्लेरिंग खाता	9,244.89	
21,73,308.44	2. लायबिलिटीज पेयबल	24,81,062.62	
44,06,632.47	3. अन्य देनदारियॉं अकॉ0	1,30,99,863.83	
51,70,550.00	4. अनुदान अग्रिम समस्त प्रकार	51,70,550.00	
1,05,35,730.00	5. चंदा देना बाकी जिला एवं राज्य संघ	1,09,59,673.00	
31,24,769.13	6. बिल्स पेयबल डीडी पेयबल	31,24,769.13	
61,81,437.87	7. ब्याज देना बाकि 3 प्रति. सहकारी संस्था को	61,81,437.87	
16,61,932.00	8. प्रा0 फण्ड अकॉ0	23,82,614.00	
1,59,362.20	9. एलआईसी को रकम देना बाकी	1,90,516.20	
5,65,129.96	10. समूह बीमा योजना कर्मचारी	4,52,954.96	
5,15,928.00	11. अर्नेस्ट मनी अकॉ0	5,15,928.00	
-	12. मार्जिन मनी अकॉ0	-	
13,02,750.00	13. आडिट फिस देना बाकी	15,84,759.00	
15,02,081.65	14. स्टेल चेक्स एवं ड्राफ्ट अकॉ0	15,02,081.65	
5,497.00	15. क्रिस योजना की रकम देना बाकी	5,497.00	
5,00,000.00	16. केडर फन्ड सरप्लस अकॉ0	5,00,000.00	
-	17. म0प्र0 राज्य सहकारी विप0 संघ खाद कलेक्शन खाता	-	
28,83,579.00	18. आयकर देना बाकि (टी. डी. एस)	21,87,840.00	
5,31,857.00	19. बचत बैंक अमानत ग्यांरटी बीमा योजना	6,30,204.00	
10,19,080.02	23. ट्रिगल फीड में जमा नही राशि	23,62,124.17	
2,970.00	24. प्रधानमंत्री जीवनज्योति बीमा प्रीमियम एलआईसी को देना बाकि	2,970.00	
300.00	25. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा प्रीमियम देना बाकि	300.00	
289.00	27. एल आय सी जमा	-	
-	28. एनपीसीआई से प्राप्त राशि रिटर्न	-	
0.00	35. नाबार्ड से वित्तीय साक्षरता की प्राप्त राशि	2,71,168.50	
1503366.00	37. बेंच संस्पेंस खाता	12,000.23	
0.00	38. सहकारी निवेश पर प्राप्त डिस्काउन्ट	0.00	
317000.00	39. एटीएम क्लेरिंग संस्पेन्स	-289100.00	
2662500.00	40. सब्सीडी खाता	2662500.00	
1927364.00	41. आय एन सी ए	6106662.00	
1201256.00	42. नेफट आर टी जी एस पार्किंग खाता	0.00	
181.00	43. सर्विस टेक्स	36.00	
60.00	44. एन आय ए जमा	0.00	
	45. ड्राप्ट खाता कोर ब्रांच	2101537.46	

गतवर्ष की रकम	सम्पत्तिया तथा अस्तिया	रकम	कुल रकम
1	2	3	4
4,57,73,84,800.91	**(केश क्रेडिट ऋण)**		**6,37,35,99,537.21**
3,45,61,076.34	1. केश क्रेड़िट फर्टिलाईजर रासायनिक खाद	3,64,38,568.54	
77,90,976.83	2. क्लिन केश उपभोक्ता	1,33,47,729.07	
2,66,28,752.01	3. क्लिन केश समर्थन मूल्य	52,71,827.09	
6,04,940.98	4. क्लिन केश समर्थन मूल्य मार्केटिग	-	
34,891.00	5. क्लिन केश क्रेड़िट बुनकर संस्था	34,891.00	
72,67,188.42	6. क्लिन केश क्रेड़िट उपभोक्ता भण्ड़ार	73,15,802.86	
12,47,278.40	7. क्लिन केश क्रेड़िट आद्यौगिक ईकाई	12,47,278.40	
2,05,12,242.69	8. क्लिन केश क्रेड़िट व्यक्तिगत लिमिट	2,04,65,766.69	
65,63,600.21	9. क्लिन केश क्रेड़िट मार्केटिग लिमिट	65,63,600.21	
54,19,388.18	10. क्लिन केश क्रेड़िट विपणन संस्था	56,80,620.33	
3,55,09,58,091.59	11. डी एम आर खरीफ	5,68,83,24,415.36	
91,57,96,374.26	12. डी एम आर रबी	58,89,09,037.66	
5,86,92,024.63	**(प्राप्तिया)**		**3,74,51,344.74**
3,66,20,521.97	1. प्राप्ति योग्य ब्याज लेना बाकी सहकारी संस्था	1,53,79,842.08	
81,29,322.14	2. ब्याज लेना बाकी केन्द्र शासन से	81,29,322.14	
1,39,42,180.52	3. ब्याज लेना बाकी राज्य शासन से	1,39,42,180.52	
10,37,85,582.00	**(सम्पतिया)**		**11,32,46,871.45**
2,86,24,687.50	1. बैंक भवन	2,95,32,994.00	
5,47,95,061.00	2. बैंक भुमि	5,48,74,111.00	
14,54,466.00	3. जीप कार वाहन अकॉ0	36,35,942.00	
9,38,481.98	4. कम्प्युटर खाता	11,84,620.78	
1,79,72,885.52	5. डेड स्टाक नान परिशिएटबल अकॉ0	2,34,56,126.32	
	6. फिक्चर फर्नीचर खाता	5,63,077.35	
25,66,84,455.99	**(सम्पत्तिया तथा अस्तिया)**		**17,21,60,271.16**
10,01,263.62	1. ऋण राहत मूल की रकम केन्द्र शासन से लेना	10,01,263.62	
36,174.48	2. ऋण राहत मूल की रकम राज्य शासन से लेना	36,174.48	
11,01,26,695.07	3. संस्पेस अकॉ0	11,04,41,311.95	
0.00	4. अग्रिम कर्मचारी खाता	0.00	
1,82,59,635.72	5. अन्य लेनदारीया	1,08,95,325.10	
-	6. केडरफण्ड लेना बाकी (अपेक्स बैंक भोपाल 50 प्रतिशत)	-	
3,49,226.00	7. जवाहर रोजगार योजना	3,49,226.00	
9,08,704.90	8. स्कंध प्रपत्र, पंजिया बैंक	7,38,212.95	
18,77,380.28	9. स्कंध प्रपत्र, पंजिया सहकारी संस्थाऐ	17,26,510.58	
	10.केडर फण्ड सह0 समिति अंशदान 5 प्रतिशत	-	
1,86,638.49	11.सक्षमता विकास की रकम लेना बाकी	36,638.49	
74,73,047.00	12 शासकीय प्रतिभुति पर पीमियम भुगतान	62,96,268.00	
-	13. 50 प्रतिशत सविस टैक्स	-	
93,16,264.00	14. अन्य लेनदारीया गबन की राशि	89,85,131.00	
10,26,22,659.52	15 नेफट संस्पेन्स खाताा	-	
-	16. यु आय डी जमा	-	
2,92,253.00	17. शिक्षा जागृति की रकम	2,92,253.00	
44,813.34	18 बेलेन्सिग खाता	3,346.00	
2,98,041.87	19. जेआरवाय योजनान्तर्गत खाघान्न राशि	2,98,041.87	
-	20. प्रशासकीय शुल्क	-	
-	21. आई एन सी ए व्यक्तिगत (एन पी ए.)	-	
30,20,053.91	22. ट्रिगल फीड में नामें राशि	56,44,796.82	
2,49,259.08	23. सेन्ट्रल जी एस टी	11,80,671.54	
2,49,270.08	24. राज्य जी एस टी	11,80,615.29	
3,72,723.63	25. आय जी एस टी	2,98,524.73	

गतवर्ष की रकम	पूंजी तथा देनदारिया	रकम	कुल रकम
1	2	3	4
	46. नाबार्ड से प्राप्त एटीएम वेन अनुदान	1735068.00	
	47. नेफट संस्पेंस खाता	349326151.00	
4,63,07,322.14	12. संचित लाभ हानि गत स्थिति विवरण पत्रक का लाभ कम किया जो अंकेक्षण वर्ष की हानी कम की गई अकेक्षण वर्ष में वितरित किया गया लाभ जो हानि पत्रको से आया	86,93,890.40	86,93,890.40
11,70,85,38,219.39	**महायोग**		13,63,18,41,782.96

गतवर्ष की रकम	सम्पत्तिया तथा अस्तिया	रकम	कुल रकम
1	2	3	4
352.00	26. प्रा0 फण्ड रकम लेना बाकी	-	
	27. एटीएम चार्जेस आय सी आय सी आय से लेना बाकी	1,96,785.08	
	28. आय एम पी एस से लेना बाकी	2,80,755.00	
	29. क्लेम फार लोरो	43,700.00	
	30. बैंकर्स समाशोधन खाताा	21,880.99	
	31. शासकीय प्रतिभुति पर ब्याज लेना बाकी	2,22,12,838.67	
-			
11,70,85,38,219.39	**योग**		13,63,18,41,782.96

सही/–
सांख्यिकी एवं प्रबंधक लेखा
ममता शुक्ला

सही/–
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आर एस वसुनिया

सही/–
प्रशासक एवं संयुक्त पंजीयक
जगदीश कन्नौज

लाभ हानि पत्रक वर्षान्त 31.03.2019

गत वर्ष की राशि	व्यय की मद	रकम	कुल रकम
1	2	3	4
	1. अमानते एवं ऋण पर ब्याज दिया		
30,24,57,480.07	अ ऋण पर	37,43,69,853.43	
29,84,00,346.13	ब अमानतो पर	34,70,14,130.32	
12,72,731.00	स कृषि स्थायित्व निधि पर	14,42,860.00	
5,28,37,769.00	द ब्याज अनुदान सहकारी संस्थाओं को	3,56,46,432.00	
65,49,68,326.20		**75,84,73,275.75**	**75,84,73,275.75**
	स्थापना व्यय		
9,46,24,839.00	2. वेतन उपवेतन तथा भविष्य निधि	11,26,86,266.50	
0.00	अ केडर वेतन मंहगाई भत्ता भविष्य निधि	0.00	
0.00	ब बोनस कर्मचारी	0.00	
2,32,993.00	स यात्रा भत्ता कर्मचारी	3,26,586.00	
9,48,57,832.00		**11,30,12,852.50**	**11,30,12,852.50**
	3 . अन्य व्यय		
1,93,16,730.66	कर किराया बीमा एवं प्रकाश व्यय	2,20,20,282.32	
9,30,380.70	दुरलेख दुरभाष एवं डाक व्यय	7,98,318.94	
61,592.00	वाचनालय एवं पत्र पत्रिकाए	63,888.00	
29,66,608.05	सम्पत्ति पर रख रखाव व्यय	27,33,163.55	
32,29,478.04	लेखन सामग्री एवं छपाई व्यय	24,24,180.26	
18,20,149.50	विविध व्यय	21,94,940.29	
8,12,264.00	विधि व्यय	58,830.00	
19,18,921.25	डीजल पेट्रोल एवं आईल अकॉ0	21,17,556.19	
200.00	पोषाक भृत्य एवं चालकगण	1,80,458.87	
5,71,614.00	विज्ञापन व्यय अकॉ0	9,97,750.10	
0.00	प्रशिक्षण व्यय	30,650.00	
26,11,600.00	चंदा दिया जिला एवं राज्य संघ	29,65,000.00	
36,615.00	सीटिंग फीस संचालकगण	32,020.00	
7,96,711.00	आडिट फीस दिया	14,00,000.00	
4,00,250.00	साधारण सभा व्यय	2,01,500.00	
40,00,000.00	पुर्व के वर्षो का देय आयकर	1,27,94,303.00	
74,00,276.80	छिजन दिया	84,03,068.45	
83,117.00	संस्थापन व्यय	95,612.26	
0.00	वेट टैक्स दिया	0.00	
0.00	कर्मचारी मृत्यु पर एक्ग्रेसिया भुगतान	0.00	
0.00	बैंक अंशदान ग्रेज्युटी	0.00	

लाभ हानि पत्रक वर्षान्त 31.03.2019

गत वर्ष की राशि	आय के मद	रकम	कुल रकम
	2	3	4
85,38,00,067.65	**1. अर्जित एवं प्राप्त ब्याज**		1027420374.77
71,75,92,479.81	अ ऋण पर	88,06,16,953.66	
79,617.00	ब अमानतो पर	1,66,858.76	
13,61,27,970.84	स विनियोग पर	4,74,97,070.68	
	द सहकारी प्रतिभुति पर	9,91,39,491.67	
23,66,423.69	**2. कमीशन एवं दलाली**		**31,58,400.77**
17,06,976.00	3. इन्सीडेटल चार्जेस	25,65,606.05	
1,60,724.76	4. अन्य आय	1,49,917.93	
0.00	5. मूल्यांकन शुल्क	1,000.00	
1,20,072.00	6. लॉकर किराया	1,21,460.00	
0.00	7. अर्थदण्ड अकॉ0	0.00	
1,194.00	8. प्रवेश शुल्क	112.00	
2,00,000.00	9. लाभाश प्राप्त इफको से	2,00,000.00	
75,000.00	10.लाभांश प्राप्त कृभको से	90,000.00	
71,39,664.39	11.लाभांश प्राप्त अपेक्स बैंक से	97,69,500.00	
0.00	12.शासकीय अनुदान प्राप्त शासन से	0.00	
0.00	13.आयकर रिफण्ड खाता	54,21,100.00	
3,46,819.00	14.एल आय सी कमीशन	3,49,325.00	
24,00,000.00	15.कम दर पर क्रय की गई शासकीय प्रतिभूतियों से आय	0.00	
30,775.00	16.खाता बन्द शुल्क	6,529.00	
1,68,225.00	17.चेक बुक शुल्क	2,04,795.00	
1,350.00	18.स्टाप पेमेन्ट शुल्क	1,050.00	
65,100.00	19.विविध शुल्क से आय	1,04,850.00	
5,38,224.30	20. एस एम एस चार्ज	11,21,234.30	
0.00	21. एटीएम शुल्क	4,715.00	
0.00	22. आय एन सी ए कमीशन	-60,318.00	
1,29,54,124.45		**2,00,50,876.28**	**2,00,50,876.28**
	4 वर्ष की हानि	0.00	0.00
86,91,20,615.79	**योग**		**1,05,06,29,651.82**

सही/–
सांख्यिकी एवं प्रबंधक लेखा
ममता शुक्ला

सही/–
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आर एस वसुनिया

सही/–
प्रशासक एवं संयुक्त पंजीयक
जगदीश कन्नौज

गत वर्ष की राशि	व्यय की मद	रकम	कुल रकम
1	2	3	4
1,07,23,652.00	बैंक अंशदान प्राविडेण्ट फण्ड	1,23,09,090.00	
0.00	कालातीत ऋण प्रावधान	9,00,00,000.00	
1,88,470.84	मोबाइल सीम का किराया	1,69,463.00	
0.00	एसएमएस शुल्क	0.00	
6,92,475.00	EXPENCES FROM FINANCIAL LIT.	6,13,811.00	
7.05	राउण्डअप राशि	18.76	
10,70,946.00	शासकीय प्रतिभुति पर प्रीमियम भुगतान	9,65,113.00	
1,25,597.00	आकस्मिक व्यय	1,47,003.00	
3,344.69	क्रेडिट स्कोर शुल्क	0.00	
2,26,134.87	कम्प्युटर व्यय	8,05,053.91	
0.00	अपलेखन व्यय	6,78,928.00	
0.00	बैंक व्यय	1,91,144.24	
0.00	एटीएम शुल्क एनपीसीआय	12,086.03	
0.00	एटीएम कार्ड प्रिटिंग व्यय	10,46,400.00	
5,99,87,135.45		**16,64,49,633.17**	**16,64,49,633.17**
80,98,13,293.65	**योग व्यय**		**1,03,79,35,761.42**
5,93,07,322.14	वर्ष का लाभ आयकर के पूर्व का	**1,26,93,890.40**	**1,26,93,890.40**
1,30,00,000.00	आयकर दिया	**40,00,000.00**	**40,00,000.00**
4,63,07,322.14	शुद्ध लाभ		**86,93,890.40**
86,91,20,615.79			**1,05,06,29,651.82**

सही/–
सांख्यिकी एवं प्रबंधक लेखा
ममता शुक्ला

सही/–
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आर एस वसुनिया

सही/–
प्रशासक एवं संयुक्त पंजीयक
जगदीश कन्नौज

अंकेक्षण प्रमाण-पत्र

मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता अंकेक्षण अधिकारी प्रमाणित करता हूँ कि मेरे विभाग के अधिकारी , निरीक्षक एवं सब ऑडिटर ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धार जिसका पंजीयन क्र. 17 दिंनाक 16.03.1926 है तथा जो जिला धार में है , का अंकेक्षण मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम एवं पंजीयक सहकारी समितियां म.प्र. भोपाल के द्वारा प्रस्तावित विधि से पूर्ण किया है | बैंक का पंजीयन प्रमाण पत्र बैंक कार्यालय में उपलब्ध पाया गया | मेरे द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित धार 31 मार्च 2019 तक का स्थिति विवरण पत्रक, लाभ हानि पत्रक जो उक्त दिंनाक से समाप्त होने वाले लेखायों से सम्बंधित है कि प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं द्वारा भेजे गए प्रमाणित लेखों के आधार पर जाँच की गई जो कि इन पत्रको में सम्मिलित किये गए है अत: मेरे मत के अंकेक्षण टिप में उल्लेखित आक्षेपों, लेखांकन नीतियाँ एवं परिवर्तन का ज्ञापन (MOC) को छोडकर :-

1. बैंक का व्यवसाय आम तौर से विधिवत उपनियमों एवं नियमों के अंतर्गत तथा पंजीयक , सहकारी समितियां, भोपाल के प्रशासनिक निर्देशों के एवं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की आवश्यकतायों के अनुरूप किया गया है |
2. बैंक का स्थिति विवरण पत्रक स्पष्ट है | आवश्यक सभी जानकारी जो कि बैंक के व्यव्हार एवं स्थिति को दर्शाते है उनका समावेश उनमें है मुझे जो जानकारी बैंक की स्थिति के सम्बन्ध में बताई गई तथा जो खातों में दर्शाई गई है उनका समावेश इन पत्रकों में है आपातियाँ ऑडिट नोट में बताई गई है |
3. आवश्यकतानुसार समस्त जानकारी मेरे संतोष होने तक बैंक द्वारा मुझे उपलब्ध कराई गई है |
4. बैंक का समस्त व्यवहार व्यवसाय निर्धारित कार्य सीमा के अंतर्गत किया गया है |
5. अंकेक्षण हेतु जो भी प्रपत्र बुलाये गए सभी पूर्ण एवं पर्याप्त है |
6. लाभ -हानि पत्रक लाभों का सही चित्रण करता है |
7. बैंक स्थिति विवरण एवं लाभ हानि पत्रक नियमों के अनुरूप बनाया गया है |
8. मेरे मत से बैंक की समस्त लेखा पुस्तिकाएं आवश्यकता के अनुरूप रखी गई है | अत: में बैंक को पंजीयक, सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्र क्र./अंके./९८/७७१ भोपाल दिंनाक 28.09.1998 एवं परिपत्र क्र./अंके./4/2002/668 भोपाल दिंनाक 24.08.2002 द्वारा प्रसारित निर्देशों में दी गई कसौटी के आधार पर बैंक को **"क "** वर्ग में वर्गीकृत करता हूँ |

वर्ष 2018-19 के लिए

अंकेक्षण वर्गीकरण " **क** " की पुष्टि की जाती है |

फॉर – स्पार्क एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन न. 005313C
सी.ए. पंकज कुमार गुप्ता

पार्टनर मेम्बरशिप न. 404644

66वाँ अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2019

सहकारिता का आस्था पर्व अखिल भारतीय स्तर पर प्रति वर्ष 14 नवम्बर से 20 नवम्बर तक अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों में आत्म मंथन का अवसर प्राप्त होता है। इस क्रम में 66 वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का 14 नवम्बर से 20 नवम्बर 2019 तक आयोजन किया जा रहा है।

ग्रामीण सहकारिताओं के माध्यम से नवाचार दिनांक 14.11.2019

भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। जीडीपी में ग्रामीण क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकारिता की शत प्रतिशत ग्रामीण क्षे त्रों में पहुंच है, जो सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। अभी साख, विपणन, रासायनिक खाद तथा गोदाम उपलब्ध करा रही है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, ऊर्जा, बीमा, पर्यटन, स्वास्थ्य तथा संचार क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है।

नवाचार का महत्व

- टेक्नोलोजी के प्रचलन एवं ग्राहकों की अपेक्षा व व्यवहार में परिवर्तन।
- सहकारिताओं के सुदृढ़ मूल्य और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नवाचारों के लिये बेहतर अवसर हैं।
- ग्राम स्तर पर अपनी व्यापक पहुंच के कारण सहकारिताऐं नवाचारों के माध्यम से विकास की नई इबारत लिख सकते है।
- उत्तरी और दक्षिण अमरीका में 236 सहकारी संस्थाओं पर हुए शोध ने यह सिद्ध किया है कि नवाचार सहकारिताओं की प्राथमिकता होनी चाहिए।
- शासकीय योजनाओं का लाभ जन–जन तक पहुँचाने में सहकारिताऐं नवाचार का उपयोग कर सकती है।
- भारत में सहकारिताओं में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता ने सिद्ध किया है कि नवाचारों से महिला सशक्तिकरण का मार्ग भी आसान हो सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष अंतराष्ट्रीय महिला दिवस पर एक नारा दिया – बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज अर्थात सक्षमता से निर्माण करके परिवर्तनकरी नवाचार अपनाऐं।

कुछ उत्कृष्ट उदाहरण

- गुजरात के खेड़ा जिले में डूंडी सोलर पंप सिंचाई संस्था जो सिंचाई के साथ ही विद्युत मण्डल को बिजली विक्रय करती है।
- श्री महिला उद्योग लिज्जत पापड़
- केरल की श्रम सहकारिता
- चेन्नई की इरूला सपेरा सोसाइटी – इत्यादि।

नवाचार अपनाने हेतु आवश्यक बातें

- व्यावसायिक मानव संसाधन की आवश्यकता।
- कम लागत में अधिक उत्पादन का सदस्यों को प्रशिक्षण।
- नयी तकनीकि तथा नयी सूचना प्रणाली, डिजीटल तकनीकी का उपयोग।
- कौशल उन्नयन पर जोर इत्यादि।

सफलता की कहानियों द्वारा शिक्षा प्रशिक्षण का पुनर्उन्मुखीकरण दिनांक 16 नवम्बर 2019

प्रशिक्षण से संस्था कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन संभव है। इससे विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान, क्षमता, आपसी समन्वय, व्यवहार और आत्म विश्वास में वृद्धि होती है जिसका लाभ संस्था को प्राप्त होता है। इससे व्यवसायिकता में वृद्धि होती है। इसके दो पक्ष होते है पहला प्रशिक्षणार्थी और दूसरा प्रशिक्षक की प्रशिक्षण पद्धति।

प्रशिक्षण की प्रक्रिया के विभिन्न अंग होते है। जैसे – सही सूचना, वर्तमान संसाधनों के आधार पर अध्ययन व मूल्यांकन के आधार पर प्रशिक्षण सामग्री, चर्चा तथा अंत में प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने से प्रशिक्षण का अच्छा प्रभाव पड़ता है।

प्रशिक्षण में सफल सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन से भी प्रशिक्षण प्रभावी होता है। परम्परागत प्रशिक्षण की बजाय व्यवहारिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए।

सहकारिता के विकास में प्रचार प्रसार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए समाचार पत्रों में सफलता की कहानियों तथा सोशल मीडिया में भी 5 मीनिट की वीडियो फिल्म जारी की जा सकती है।

किया क्या जा सकता है ?

- साख, बैंकिंग, डेरी तथा मत्स्य की सफलता की कहानियां
- नये क्षेत्र जैसे डीजिटल तकनीकि, सोशल मीडिया, पर्यटन,परियोजना प्रबंध, सायबर सिक्योरिटी, आई.टी. की सफलता के महत्वपूर्ण अंश।
- प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को सफल सहकारी संस्थाओं का अध्ययन तथा उनसे प्रतिवेदन बनवाकर अन्य प्रशिक्षणों में उनका उपयोग।
- प्रशिक्षण में सफलता की कहानी पर चर्चा हेतु विशेष सत्र रखा जाये।
- नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में भी इस सफलता की कहानियों का उपयोग कर उन्हें प्रेरित किया जाय।

वित्तीय समावेशन, प्रौद्योगिकी स्वीकारीकरण व सहकारिता के माध्यम से डिजिटलीकरण 20 नवम्बर 2019

देश मे 66वां अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह 14 से 20 नवम्बर 2019 तक मनाया जा रहा है। जिसके अंर्तगत 20 नवम्बर को उपरोक्त विषय के लिये नामांकित किया गया है। वित्त व प्रौद्योगिकी से जुडा यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही दोनों विषयवस्तु किसी व्यवसाय की उन्नति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

वित्तीय समावेशन

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसके बावजूद देश के ग्रामीण क्षेत्रो में वित्तीय जागरूकता का आभाव देखने में आता है। वित्तीय समावेशन, स्थाई आर्थिक स्थिति के लिये एक प्रभावी साधन माना गया है। आरबीआई की प्रगति रिपोर्ट अनुसार बैकिंग कवरेज के अंर्तगत देश की लगभग 80 प्रतिशत आबादी आ गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना व मुद्रा लोन योजना ने बैकिंग क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किये है। गरीब व वंचितों को भी बैंक व सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। धोखाधड़ी को रोकने के लिये बायोमेट्रिक आईडी का उपयोग होने लगा है। लेकिन एटीएम, डिजिटल कियोस्क, ऑन लाईन बैकिंग सुविधा का लाभ शहरी जनता को अधिक मिल रहा है। दूरस्थ ग्रामीण जनता अभी भी इससे वंचित है। ग्रामीण जनता को उपरोक्त सभी लाभ पहुँचाने के लिये सहकारिता क्षैत्र से अच्छा ओर कोई माध्यम नहीं है। सहकारी बैंक व समितियॉ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

वित्तीय समावेशन के लाभ–

- नकदी अर्थव्यवस्था में कमी आती है व बैकिंग सिस्टम में ज्यादा पैसा पहुँचता है।
- लोगों में बचत की आदत बढ़ती है जिससे देश में पूंजी निर्माण बढ़ता है।
- ग्रामीण जनता को बैकिंग सुविधाओं का लाभ मिलता है।
- लाभार्थी के बैंक खाते में पूरा लाभ सीधा स्थानांन्तरित हो जाता है।
- ऋण की उपलब्धता उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देती है।
- लोगो की बैकिंग बीमा उत्पादों तक पहुँच बढ़ती है।

प्रौद्योगिकी स्वीकारीकरण

सहकारिता क्षैत्र भी तेजी से डिजिटल होता जा रहा है। अपेक्स बैंक, जिला सहकारी बैंक व प्रमुख सहकारी संस्थाऐं डिजिटल माध्यमों से कार्य करने लगी है। फिर भी राष्ट्रीयकृत व व्यवसायिक बैंको की तुलना में ग्राहकों को सुविधायें कम दे पा रही है। सहकारी बैंकों में ग्राहको के लिये एटीएम, पास बुक प्रिंट मशीन, नोट जमा करने की मशीन व चेक जमा करने की मशीन, नेट बैकिंग आदि सुविधा का आभाव है। शहरो में सरकारी, व्यवसायिक व सहकारी बैंको में प्रतिस्पर्धा है जहां सहकारी बैंक पीछे नजर आती है। कई सहकारी बैंको के डूब जाने के कारण सहकारी बैंको की साख भी प्रभावित हुई है जिसके लिये उचित निगरानी सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रो में जिला सहकारी बैंकों ने अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है व कोर बैकिंग सिस्टम को अपना लिया है लेकिन ग्राहकों के लिये डिजिटल सुविधा का अभाव है। सहकारी समितियों में डिजिटलीकरण अभी प्रारम्भिक अवस्था में है व कई कार्य मेनुअल तरीके से किये जा रहे हैं। सहकारिता क्षैत्र के लिये प्रौद्योगिकी का स्वीकारीकरण व उसके लिये बजट की व्यवस्था व प्रशिक्षण अति आवश्यक है।

सहकारिता के माध्यम से डिजिटलीकरण

डिजिटलीकरण ने लगभग हर व्यक्ति व व्यवसाय को किसी न किसी तरह से प्रभावित किया है। प्रतिस्पर्धा के युग में डिजिटल तकनीकों को नजरअंदाज करना सम्भव नहीं है। देश में ओला, उबेर, फ्लिपकार्ट, पेटीएम आदि ने डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल कर अपने व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुँचा दिया है। देश की करीब 70 प्रतिशत आबादी गॉवों में निवास करती है। आय के एक से अधिक साधन, सरकारी योजनाओं का लाभ व शिक्षा ने उनका जीवन स्तर उपर उठा दिया है। लेकिन वे अभी भी अपनी कई आवश्यकताओं के लिये शहरो पर निर्भर है। ग्रामीण क्षैत्रों में सस्ते स्मार्ट फोन की उपलब्धता व सस्ता डाटा ने इंटरनेट के उपयोग में क्रांति सी ला दी है। अनपढ व मजदूर भी इसका भरपूर उपयोग कर रहे है। आवश्यकता है इस ग्रामीण डिजिटल उपलब्धता के समुचित दोहन की। ग्रामीण कम्प्यूटर व मोबाईल रिपेरिंग समिति, ग्रामीण परिवहन समिति, ग्रामीण कारीगर उपलब्धता समिति, ग्रामीण ऑनलाईन डिलीवरी समिति, ग्रामीण प्राथमिक चिकित्सा सुविधा समिति, ग्रामीण ऑनलाईन शिक्षा समिति जैसी कई समितियॉ सहकारिता के अंर्तगत गठित कर ग्रामीणो को उचित शुल्क पर ऑनलाईन सुविधायें दी जा सकती है। ग्रामीण जनता के लिये सहकारिता ही एकमात्र भरोसेमंद माध्यम है जिसके द्वारा उनका डिजिटलीकरण किया जा सकता है। इसके लिये आवश्यक है कि अनुभवी, तकनीकी जानकार, सेवाभावी व समर्पित अधिकारी व कर्मचारी सहकारिता क्षैत्र से जुड़कर कार्य करें। एक उचित निगरानी तंत्र का होना भी जरूरी है। सहकारी जनप्रतिनिधि भी शासन की योजनाओं का लाभ सहकारिता के लिये लाकर अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते है।

–शिरीष पुरोहित
कम्प्यूटर प्रशिक्षक
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर
मोबाईल 99264 51862

कृषि का रकबा बढ़ाने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न का उत्पादन भी हमारी प्राथमिकता हो

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रभांशु कमल ने खरीफ कार्यक्रम की समीक्षा एवं रबी कार्यक्रम के निर्धारण के लिए ग्वालियर–चंबल संभाग की बैठक ली

ग्वालियर। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए खेती का रकबा बढ़ाना आवश्यक है। खेती के साथ–साथ किसान उद्यानिकी की भी खेती करें। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। रकबे को बढ़ाने के साथ–साथ गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न का उत्पादन हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रभांशु कमल ने खरीफ कार्यक्रम की समीक्षा तथा रबी कार्यक्रम के निर्धारण के लिए आयोजित बैठक में यह बात कही।

ग्वालियर–चंबल संभाग की समीक्षा बैठक मोतीमहल के मानसभागार में आयोजित हुई। बैठक में प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी, कुलपति कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर श्री आर. के. राव, आयुक्त भू–अभिलेख श्री एम.के. अग्रवाल, संभागीय आयुक्त श्री एम.बी. ओझा, प्रबंध संचालक बीज निगम श्रीमती सूफिया फारूखी, संचालक कृषि श्री मुकेश कुमार शुक्ला, प्रबंध संचालक विपणन संघ सुश्री स्वाति मीणा, कलेक्टर ग्वालियर श्री अनुराग चौधरी, कलेक्टर शिवपुरी सुश्री अनुग्रह पी., गुना कलेक्टर श्री भास्कर लक्षकार, दतिया कलेक्टर श्री बी एस जामोद, अशोकनगर कलेक्टर डॉ. मंजू शर्मा, मुरैना कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास, भिण्ड कलेक्टर श्री छोटे सिंह, श्योपुर कलेक्टर श्री बसंत कुर्रे सहित सभी जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

खरीफ कार्यक्रम की समीक्षा के साथ–साथ रबी कार्यक्रम के तहत ग्वालियर–चंबल संभाग में नीति निर्धारण भी किया गया। ग्वालियर संभाग में 13.36 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में तथा चंबल संभाग में 7.50 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों को बोने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रभांशु कमल ने ग्वालियर–चंबल संभाग के सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि खाद–बीज का भण्डारण समय रहते सुनिश्चित कर लिया जाए।

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रभांशु कमल ने बैठक में यह भी कहा कि ग्वालियर–चंबल संभाग के सभी जिलों में किसान फसलों के साथ–साथ उद्यानिकी को भी अपनाएं। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। अमानक खाद–बीज विक्रेताओं के विरूद्ध सभी कलेक्टर सख्त से सख्त करर्वाई करें। खाद–बीज के नमूनों को एकत्र करने का कार्य अभियान के रूप में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। कृषि विश्वविद्यालय का उपयोग करते हुए किसानों को आधुनिक खेती के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई सलाहों से भी अवगत कराना चाहिए।

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रभांशु कमल ने बैठक में कहा कि समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदे जाने वाले खाद्यान्न की मॉनीटरिंग कलेक्टर स्वयं करें। इसके लिए खरीदी केन्द्रों को भी कलेक्टर अपनी देखरेख में स्थापित कराएं। किसानों से खरीदे जाने वाले सामान की निगरानी के लिए कलेक्टर स्वयं खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण करने के साथ–साथ राजस्व अधिकारियों को भी इसके लिए तैनात करें। उन्होंने कहा कि सुविधाजनक हो तो भण्डारण स्थल पर ही खरीदी केन्द्रों का निर्धारण किया जाए। खरीदी केन्द्र पर किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों, यह भी सुनिश्चित किया जाए।

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रभांशु कमल ने बैठक में उपस्थित जिला पंचायत के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा कि वे कृषि कार्य पर विशेष ध्यान दें। भ्रमण के दौरान खेती किसानी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का अवलोकन करें और किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रोत्साहित करें। इसके साथ ही कलेक्टर भी कृषि विभाग की निरंतर समीक्षा कर जिले में खेती किसानी की प्रगति की समीक्षा करने के साथ–साथ कोई कठिनाई हो तो उसके निराकरण की पहल करें।

प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी ने बैठक में कहा कि सभी जिलों में मिट्टी परीक्षण के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा पूरे मध्यप्रदेश में 1146 मिट्टी परीक्षण की मशीनें उपलब्ध हैं। इसके साथ ही 50 से अधिक लैब भी मिट्टी परीक्षण के लिए कार्यरत हैं। सभी जिलों में किसानों को स्वयं के व्यय पर भी अपने खेती की मिट्टी का परीक्षण कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि का मैदानी अमला किसानों को मिट्टी परीक्षण से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दें।

संचालक कृषि श्री मुकेश कुमार शुक्ला ने बैठक में कहा कि रबी कार्यक्रम के तहत ग्वालियर–चंबल संभाग में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करने के साथ–साथ किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद–बीज की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद–बीज की कोई कमी नहीं है। सभी जिलों में समय रहते इसका भण्डारण सुनिश्चित किया जाए।

संभागीय आयुक्त श्री एम बी ओझा ने बैठक में कहा कि ग्वालियर संभाग में रबी कार्यक्रम के तहत निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य किया जायेगा। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी किसी जिले में नहीं होगी, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। सभी जिलों में खाद–बीज का भण्डारण समय रहते सुनिश्चित कर लिया जायेगा। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टरों ने अपने–अपने जिले में खरीफ कार्यक्रम के तहत हुए कृषि के क्षेत्र में उत्पादन और फसलों की जानकारी दी। इसके साथ ही रबी कार्यक्रम के लिए की गई तैयारियों की भी विस्तार से जानकारी दी। सभी ने बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन तत्परता से सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया।

किसानों को नहीं होगी खाद-बीज की कमी : श्री शर्मा

प्रभारी मंत्री श्री शर्मा मांदला में आपकी सरकार आपके द्वार के शिविर में हुए शामिल

भोपाल। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत हरदा जिले के खिरकिया तहसील के ग्राम मांदला में आयोजित शिविर में शामिल होने विधि एवं विधायी, जनसंपर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विमानन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के मंत्री एवं हरदा जिले के प्रभारी मंत्री श्री पी.सी. शर्मा पहुँचे।

इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। इस सीजन में किसानों को खाद बीज की कोई कमी नहीं होगी। उन्होने इस संबंध में प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ श्री लोकेश कुमार जांगिड़ को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में किसानों को खाद एवं बीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यदि अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता है तो शासन स्तर पर इसकी मांग करें। उन्होने किसानों से कहा कि शीघ्र ही बोनस तथा फसल नुकसान की राशि भी मिलेगी।

मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा प्रारम्भ किया गया अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जो लोग जिला मुख्यालय पर जाकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये आवेदन नहीं दे सकते आज पूरा प्रशासन स्वयं उन तक पहुँच कर उनकी समस्याएं सुनने आया है। गाँव के सरपंच, पंच आदि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लोगों को इन शिविरों के संबंध में जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें एवं यहाँ आकर अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दे सकें। उन्होने उपस्थित लोगों से कहा कि आपकी जो भी समस्याएं है उस संबंध में शिविर में आवेदन दें। आपकी समस्याओं का निराकरण अवश्य किया जायेगा। शिविर में व्यक्तिगत समस्याओं के साथ–साथ गाँव की सामुहिक समस्याएं भी लेकर आये ताकि गाँव का विकास हो सके। उन्होने प्रभारी कलेक्टर श्री जांगिड़ को निर्देशित किया कि ऐसे विकलांग एवं बुजुर्ग आवेदक जिन्हें शिविर में आने में समस्या होती है उन्हें लाने एवं वापस ले जाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जावे। साथ ही शिविर स्थल के आसपास के गाँव में मुनादी कराकर प्रचार–प्रसार करवाएं ताकि लोगों को शिविर की जानकारी मिलें। प्रभारी मंत्री श्री शर्मा ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे तहसीलों में स्वरोजगार योजनाओं के शिविर लगायें ताकि युवाओं को इन योजनाओं की जानकारी मिले और वे इनका लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य शीघ्र पूर्ण करावे। मंत्री श्री शर्मा ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों पर जाकर प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।